



# BPSC

---

बिहार लोक सेवा आयोग

पेपर - II || भाग - I

राजव्यवस्था  
(भारत एवं बिहार)

## विषय-सूची

---

1. परिचय	1
2. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	3
3. अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली	6
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था	11
5. उद्देशिका	18
6. राष्ट्र व राज्य	24
7. नागरिकता	29
8. मूल अधिकार	33
9. राज्य के नीति निर्देशक तत्व	50
10. मूल कर्तव्य	56
11. अंतर्राष्ट्रीय अंशोधन	60
12. शक्ति पृथक्करण का विवरण	63
13. राष्ट्र	
• राष्ट्रपति	65
• उपराष्ट्रपति	79
• मंत्रिपरिषद	80
• मंत्रिमंडल	81
• प्रधानमंत्री	83
• महान्यायवादी	86
14. अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध	87
15. राज्य	107

16. भारतीय न्यायिक व्यवस्था	
● न्यायपालिका	120
● उच्च न्यायालय	124
● अधीनस्थ/डिला न्यायालय	126
● जनहित याचिका	128
17. इथानीय क्रियाएँ	136
18. शंघ शब्द से शंखंदित प्रावधान	146
19. शंघ शब्द शंखं	151
20. वित आयोग	157
21. लोक शेवाएँ	159
22. निर्वाचन आयोग	162
23. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	171
24. शंविधान का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य	173
25. शंविधान निर्माण	176
26. शांविधिक शंस्थाएँ	178
27. केन्द्रीय शतर्क्ता आयोग	180
28. केन्द्रीय शूचना आयोग	181
29. लोकपाल एवं लोकायुक्त	182
30. भारत में अधिकरण	185
31. अधिकार व मुद्दे	188
32. लोकनीति	191
33. विभिन्न देशों के शंविधान से तुलना	193
34. बिहार की शजाव्यवस्था	196
35. शांविधिक विनियामक एवं अर्द्ध-न्यायिक निकाय	217

## परिचय

शैक्षणिक प्रावधान : - वे प्रावधान जो शंक्षिधान में उपष्ट वर्णित हैं।

- अशैक्षणिक प्रावधान : - वे प्रावधान जो शंक्षिधान में वर्णित नहीं हैं और शंक्षिधान के विपरीत हैं।
- ये अमान्य होते हैं।
  - प्रचलन में नहीं होते हैं।

- गैर शैक्षणिक प्रावधान : - वे प्रावधान जो शंक्षिधान में वर्णित नहीं हैं, किन्तु शंक्षिधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते हैं।
- ये मान्य होते हैं।
  - ये प्रचलन में होते हैं।
  - ये क्रमय-क्रमय पर उपयोग होते रहते हैं।

शैक्षणिक प्रावधान :- वे प्रावधान, जो शंक्षिधान के द्वारा गठित किया जाए।

कार्यकारी प्रावधान :- वे प्रावधान जो सरकार के आदेश/मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित हो।

## कुछ शंकल्पनाएँ

राज्य (State) : शैक्षणिक क्षेत्र  
निश्चित भू-भाग  
जनराज्या  
सरकार  
शंखुता (शर्वेच्य शक्ति) (बाह्य विहीन)

देश/राष्ट्र :- राज्य + निष्ठा

भारत एक राज्य है - शंकल्पना


भारत एक राष्ट्र है - व्यावहारिक रूप में

सरकार :- राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली शंक्षा

## राज्य का रूप


पुलिंश राज्य	कल्याणकारी राज्य (Welfare State)
अधिजात्य वर्ग/ शासक के हितों के लिए कार्य करना	शासितों (लोग/जनता) के हितों के लिए कार्य करना
उदाहरण : रक्षणात्मक रूप से पूर्व भारत	उदाहरण : रक्षणात्मक के बाद भारत

शरकार लोगों के हितों के लिये कार्य कैसे करती हैं ?



**शासन** :- शरकार जो कुछ करती है तथा जिस विधि/रीति से करती है, उसे शासन कहते हैं। इसके अन्तर्गत नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करना शम्भिलित किया जाता है।

**प्रशासन** :- यह शरकार का कार्यकारी झंग है, शरकार द्वारा बनाई गयी नीतियों निर्णयों आदि को लागू करना, प्रशासन कहलाता है।



**शासन व्यवस्था** :- शासन के निर्माण आदि का अध्ययन

**शासनिति (Politics)** :- शासन के लिए निर्मित की जाने वाली नीति

**शासनिता** :- शासनिति का व्यवहार करने वाले

**शासनितिक्षा** :- शासनिति का विशेष ज्ञान रखने वाले

## शंखिदान



शंखिदान किसी देश की शर्वोच्च व मूलभूत विधि है जो शरकारी के गठन एवं कार्यों के विषय में ज्ञानकारी प्रदान करती है।

### शंखिदान के प्रकार :-

1. लिखित - दस्तावेज के रूप में शंखिदान विद्यमान हो।

उदाहरण : भारत, U.S.A. आदि

2. अलिखित - दस्तावेज के रूप में शंखिदान न हो।

उदाहरण : ब्रिटेन

भारत का शंखिदान			
	आग	अनुच्छेद	अनुशूली
मूल आग शंखिदान	22	395	8
वर्तमान शंखिदान	25	460 से अधिक	12


### अनुशूलियाँ

अनुशूली	विषय
पहली अनुशूली	शड्य एवं शंघ + शड्य क्षेत्र के नाम
दूसरी अनुशूली	विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि
तीसरी अनुशूली	शपथ के प्रारूप
चौथी अनुशूली	शड्य शब्द में इथानों का आवंटन (बँटवारा)
पाँचवीं अनुशूली	अराम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोंग की छोड़कर शड्य शब्दों के अनुशूलित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
छठी अनुशूली	अराम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोंग के अनुशूलित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
शातवीं अनुशूली	शंघ एवं शड्यों के मध्य विद्यायी शक्तियों का वितरण
<b>कानून बनान की शक्ति</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• शंघ शूली - शंखद</li> <li>• शड्य शूली - शड्य विद्यान मंडल</li> <li>• शमवर्ती शूली - दोनों</li> </ul>	
आठवीं अनुशूली	<u>भाषाएँ</u> मूल शंखिदान - 14 वर्तमान शंखिदान - 22
नौवीं अनुशूली	(1 <sup>st</sup> शंखिदान शंसोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया) - कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण
दशवीं अनुशूली	(52 <sup>th</sup> शंखिदान शंसोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया) - दल - बदल विरोध प्रावधान





## रांगड़ीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)



लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का शासन। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो लोगों की आगीदारी पर आधारित है। यह एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। यह लोक दम्पत्ति के दिछांत पर आधारित है। जिसका अर्थ है कि दर्वोच्च शक्ति लोगों में गिहित होती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है कि “लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा”।

जनरांगड़ीय अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में अस्भव नहीं है। अतः, लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रचलित हैं जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में आगीदारी बनाती है।

**नोट :-** प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन

पहल (Initiative)

पुनर्वापसी (Recall)

जनमत शंख (Referendum)

जनमत शंख (Plobisite)

**पहल :-** इसके अन्तर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिये कानून का प्रारूप तैयार कर विद्यायिका के पास भेज सकती है। जनता की इस शक्ति को पहल कहते हैं।

**पुनर्वापसी (Recall) :-** कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गये प्रतिनिधि को वापस बुला लेना पुनर्वापसी कहलाता है और अब व्यक्ति के इथान पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनकर भेज दिया जाता है।

**जनमत शंखः (Referendum) :-** किसी विवाद के समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिये जब लोगों से शय एकत्र की जाये, तो यह जनमत शंखः कहलाता है। लोगों की शय ही यहाँ समाधान होती है।

**जनमत शंखः (Plobisite) :-** किसी विषय पर लोगों की शोच क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की शय एकत्र की जाये तब इसे Plobisite कहा जाता है।

	शंशदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)	अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (Presidential System)
1.	शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित	शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित
2.	शक्तियों के समन्वय का रिहांत	नहीं
3.	नहीं	झवरीष्ट एवं शंतुलन का रिहांत
4.	दोहरी कार्यपालिका (Dual Executive) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राज्य का अध्यक्ष               <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारत - राष्ट्रपति</li> <li>• ब्रिटेन - ताज</li> </ul> </li> <li>2. सरकार का अध्यक्ष               <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रधानमंत्री</li> </ul> </li> </ol>	एकल कार्यपालिका-राष्ट्रपति (राज्य एवं सरकार दोनों का अध्यक्ष)
5.	राज्याध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद	नहीं
6.	मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता/शर्तों पर आधारित	नहीं
7.	नहीं	मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के किंचें कैबिनेट का उद्दय होना आवश्यक
8.	मंत्रियों का उत्तरदायित्व - दोहरा उत्तरदायित्व <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राज्याध्यक्ष के प्रति               <ul style="list-style-type: none"> <li>• भारत - राष्ट्रपति के प्रति</li> <li>• ब्रिटेन - ताज के प्रति</li> </ul> </li> <li>2. गिर्झ शब्दन के प्रति               <ul style="list-style-type: none"> <li>• लोक सभा के प्रति</li> </ul> </li> </ol>	एकल उत्तरदायित्व - मात्र राष्ट्रपति के प्रति
9.	सरकार का कार्यकाल - अरिथर	सरकार का कार्यकाल - रिथर


गुण		
1.	अधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली	सरकार का रिथर कार्यकाल
2.	शक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग अतः, टकराव की संभावना क्षीण	प्रभावी निर्णय शक्ति
3.	शक्तियों के निरंकुश होने का खतरा नहीं/कम	राजनीतिक दोष कम





- प्रश्न 1.** भारत में शंखदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन में छनेक चुनौतियों का शामना करना पड़ा है। वस्तुतः इन चुनौतियों ने इसी असफलता के ढार पर ला खड़ा किया है। इस वाक्य के आधार पर भारत में शंखदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन का परिक्षण करें।
- प्रश्न 2.** शंखदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना करते हुये वे क्या कारण थे जिनके आधार पर शंखिदान निर्माताओं ने शंखदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक प्रणाली की भारत में अपनाने के लिए श्रेष्ठ बताया। उपष्ट करें।
- प्रश्न 3.** शंखदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें।
- प्रश्न 4.** भारत में शंखदीय लोक प्रणाली के असफल होने के कारणों का उल्लेख करें।
- प्रश्न 5.** उन उपायों का रोड मैप तैयार करें जिनके आधार पर भारत के शंखदीय प्रणाली में विद्यमान दोषों का निराकरण किया जा सकता है।
- प्रश्न 6.** ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की तुलना के आधार पर भारत में शंखदीय प्रणाली असफल है जबकि उन देशों में अपेक्षाकृत शफल है। टिप्पणी करें।

## परिसंघीय/ शंघीय व्यवस्था Federal System




जब विभिन्न क्षेत्रीय औरोलिक इकाईयाँ अर्थात् प्रान्त मिलकर ऐसे केन्द्र की रचना करें जहाँ केन्द्र एवं राज्यों की स्वतंत्र संरकार हो, तो ऐसे शांति को शंघीय शांति कहते हैं और शंघीय शांति के लिये बनाया गया शंविधान शंघीय शंविधान कहलाता है। जैसे - भारत, अमेरिका, आदि।

जब प्रान्त मिलकर ऐसे केन्द्र की रचना करते हैं जहाँ समर्त राजा/अधिकार केन्द्र में निहित होते हैं एवं प्रान्त की कोई स्वतंत्र संरकार नहीं होती बल्कि वे केन्द्र के प्रशासनिक एजेंट की भाँति कार्य करते हैं ऐसे शांति को एकात्मक शांति कहते हैं और इस शांति के लिये बनाया गया शंविधान एकात्मक शंविधान कहलाता है।

जैसे - ब्रिटेन, फ्रांस आदि।

शंघीय व्यवस्था के प्रकार :-



भारतीय शांति या शंविधान के शंघीय रूप का परिक्षण :-

भारतीय शंविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात् इण्डिया राज्यों का शंघ (union of State) है। इस प्रकार अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत में शंघीय प्रणाली अपनायी गयी है और शंघीय प्रणाली का यूनियन प्रकार अपनाया गया है।

शंविधान राजा में भी डॉ. अम्बेडकर ने यह अपेक्षा किया है कि हमने जानबूझकर यूनियन प्रकार की शंघीय व्यवस्था अपनायी है क्योंकि यह एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करता है। भारत विविधताओं से युक्त देश है जिससे भविष्य में एकता और अखण्डता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं अतः, ऐसी चुनौतियों का कठोरता पूर्वक ध्वनि करने के लिये एवं राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बनाये रखने के लिये एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक है।

शंविधान राजा के कुछ शदर्थों ने फेडरेशन के पक्ष में जब विचार दिये, तब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि तुलनात्मक रूप में यूनियन फेडरेशन से श्रेष्ठ यूनियन केन्द्र में राज्यों की निष्ठा का परिणाम है जबकि फेडरेशन केन्द्र एवं राज्यों के मध्य (अमेरिकी) शांति का अमर्झीति का परिणाम है। निष्ठा का तत्व अमर्झीति से अधिक प्रबल है। दोनों व्यवस्थाओं ने शांति केन्द्र से अलग नहीं हो सकते किन्तु निष्ठा इसका प्रबल परियायक है। डॉ. अम्बेडकर ने यहाँ तक कह दिया कि फेडरेशन ही एक प्रकार का यूनियन है।

उच्चतम न्यायालय ने केशवानन्द भारती  $V/S$  केरल राज्य एवं एस.आर. बोम्मई  $V/S$  भारत संघ के मामले में भी यह अप्रष्ट किया है कि भारतीय संविधान संघीय हैं और संघीय संविधान, संविधान का आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) हैं। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित होने के बजाय कनाडाई मॉडल पर आधारित हैं।

### संघीय संविधान के लक्षण

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. लिखित संविधान
3. दोहरा संविधान  संघ  
राज्य
4. दोहरी नागरिकता  संघ  
राज्य
5. संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा
6. द्विसदनीय विधायिका
7. कठोर संविधान
8. द्वितंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका



### भारत में संघीय संविधान के लक्षण

1. संविधान की सर्वोच्चता
2. लिखित संविधान
3. संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा
4. द्विसदनीय विधायिका
5. कठोर संविधान
6. द्वितंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

### भारत में संघीय संविधान पर चिंतकों के विचार :-

के.डी. क्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्छा संघ कहा है।

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| - ग्रेगविल अर्टिन | शहकारी संघवाद (Factorialism)        |
| - आइवर डेनिंग्टन  | शशवत केन्द्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ |
| - मॉरिस जोन्स     | समझौतावादी संघवाद                   |


प्रतिअपर्दी संघवाद :- शहकारी संघवाद - मिलजुल कर कार्य करना

केन्द्र एवं राज्य द्वाकार हर राज्य को पैसा देता है लेकिन व्यवहार में हम आर्थिक रूप से कमज़ोर को पैसा देते हैं लेकिन अब नहीं क्योंकि हम उस राज्य को पैसा दिया जाता हैं जो तरक्की करना चाह रहा है या कर रहा है जिससे दूसरे राज्य में प्रतिअपर्दा होगी और विकास करना शुरू करेंगे। ये अभी शैश्वारस्था में हैं।



इस प्रकार शंखिदान को अर्द्धशंघ की शंडा उपयुक्त नहीं है।

### आरतीय शंघ : शहकारी शंघ



### शहकारी शंघवाद :-

शहकारी शंघवाद का अर्थ है कि शंघ एवं शंघों का शहकारिता के आधार पर कार्य करना अर्थात् परम्पर मिलजुल कर भूमिका का निर्वाह करना।

शहकारी शंघवाद आरतीय शंघीय व्यवस्था को मजबूती व गतिशीलता प्रदान करता है। इसने भारत की शंघीय व्यवस्था को जीवंत बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। शंखिदान में वर्णित प्रावधानों एवं अनेक गैरि शिवैयग्निक प्रावधानों ने वह धरातल निर्मित किया है जिसके आधार पर भारत में शहकारी शंघवाद की इथापना हो रही है। ये कारक मिन्नलिखित हैं -

## 1. शैक्षणिक कारक :-

निम्नलिखित अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान वर्णित किये गये हैं जो भारतीय शंघीय व्यवस्था में शहकारीता की स्थापना करते हैं -

अनुच्छेद 252 के अनुसार जब दो या दो से अधिक शज्य इस बात पर शहमति प्रकट करें कि शंशद शज्य शूची के किसी विषय पर उनके लिये विधि बनाये तो शंशद शज्य शूची के विषय पर विधि बना सकती है। जिसका उन शज्यों के द्वारा पालन किया जायेगा। ऐसी विधि उन शज्यों के द्वारा भी लागू/स्वीकार की जा सकती है जो शहमति देने की योजना में शामिल नहीं थी।

अनुच्छेद 258 के अनुसार, शंघ शरकार श्वयं के क्षेत्र में आगे वाला कोई विषय शज्य शरकारों को उनकी शहमति से ऊपर नहीं है।

अनुच्छेद 258 (1) के अनुसार शज्य शरकार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कोई आगे वाला विषय शंघ शरकार की शहमति से ऊपर नहीं है।

अनुच्छेद 262 के अनुसार, किसी अंतर्राजीय नदी या नदी घाटियों के जल बैंटवारे को लेकर होने वाले किसी विवाद का शमादान शंशद करेगी। शंशद ऐसे शमादान के लिये न्यायालय को हस्तक्षेप करने से शैक्षणिक शहमति है।

अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राजीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसका उद्देश्य शज्यों के बीच शमनवय को बढ़ावा देना एवं विवादों के जाँच का शमादान के लिए शलाह देना है।

अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग शंघ व शज्यों के मध्य वित्तीय शहयोग एवं शामनजार्य में वृद्धि करता है।

अनुच्छेद 290 के अनुसार, शंघ एवं शज्य शरकारों परस्पर कुछ व्ययों का शमायोजन कर सकती है।

## 2. गैर शैक्षणिक कारक :-

शरकारों के शंचालन के दौरान कुछ ऐसी आदाएँ उत्पन्न हुये हैं जिनका उल्लेख शंघिदान में नहीं है किन्तु उन्होंने भारत में शहकारी शंघवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आदाएँ निम्नलिखित हैं -

### (i) नीति आयोग :-

नीति आयोग के गठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक शहकारी शंघवाद को प्रोत्तोहित करना रहा है। इस प्रकार यह शंघ एवं शज्यों के मध्य विशेषज्ञ एवं तकनीकि परामर्श के माध्यम से शहयोग की स्थापना पर बल देता है।

नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग एवं शष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) योजनागत शहयोग के साथ उपयुक्त भूमिका का निर्वाह करते थे।